

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ
संख्या-एम०ई०-३/२०१८/२९०० लखनऊ:दिनांक 18 अगस्त, 2018

आवश्यक सूचना

रिट याचिका संख्या-(सी) 6773/2018 एवं सी०एम० एप्लीकेशन 25697-98/2018, 28282/2018, 28287-88/2018 एण्ड 29674-75/2018 तनिष्क गंगवार एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य मे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 17.8.2018 द्वारा निम्नांकित आदेश पारित किए गये है:-

29. As a result of the above discussion as well as in view of the reasoning in Ansul Agarwal it is held that the petitioners (and the applicants in CM 29675/2018 i.e. Govind Yadav, Ms Kiran, Mahesh Ranwa, Harkesh Poonia and Savita Bhadu) all of who had appeared in NEET and qualified in the entrance examination, and were also successful during counselling, but not granted final admission in the allotted seats, awaiting the decision in this proceeding, shall be granted final admission. The writ petition and application (CM 29675/2018) are allowed in these terms. No costs.

मा० न्यायालय के उक्त आदेशानुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथमेटिक्स से उत्तीर्ण करने के पश्चात् इण्टरमीडिएट परीक्षा बायोलॉजी/बायोटेक्नोलॉजी जैसे एक अतिरिक्त विषय के साथ किसी भी बोर्ड से आगामी वर्ष में उत्तीर्ण किया हो, को काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त अनुमति शासन/एम०सी०आई०/भारत सरकार तथा मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेशों के अधीन होगी।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मॉप-अप राउण्ड के पंजीकरण एवं पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि दिनांक 19.8.2018 को अपराह्न 2.00 बजे तक विस्तारित की जाती है। तत्पश्चात् मेरिट का प्रकाशन 19.8.2018 को किया जायेगा।

१८
(के०के०गुप्ता)
महानिदेशक